



न्यायालय अपर समाहर्ता, गिरिडीह।
(जिला राजस्व शाखा)
विविध वाद सं०-०३/२०२२-२३

आदेश की
क्रम सं०
और तिथि

श्री अशोक मंडल
— बनाम —
श्री राजकिशोर महतो एवं वगैरह

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
की तिथि सहित

1

2

3

18.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद अपीलार्थी अशोक मण्डल, पिता स्व० बसुदेव मण्डल, साकिन महदैया, पो० मोतीलेदा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह के ऑनलाईन विविध अपील वाद संख्या-०४/२०२१-२२ (श्री अशोक मण्डल बनाम श्री राजकिशोर महतो) में दिनांक ०४.०८.२०२२ को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया। जिससे वाद पंजीकृत कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

सुनवाई की विभिन्न तिथियों में उभय पक्षों को सुना गया तथा उभय पक्षों द्वारा दावे/आपत्ति से संबंधित दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया गया। जिसमें न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह के ऑनलाईन विविध अपील वाद संख्या-०४/२०२१-२२ (श्री अशोक मण्डल बनाम श्री राजकिशोर महतो) में दिनांक ०४.०८.२०२२ को पारित आदेश में उल्लेख किया गया कि संबंधित वाद भू-हदबंदी वाद है, जो उक्त वाद को पूर्व में वाद सं०-७१/२००२-०३ मामले में दिनांक १७.१२.२०१२ को ही विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में निष्पादित हो चुका है। जिससे अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन, परिशीलन एवं सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी द्वारा भू-हदबंदी वाद संख्या-७१/२००२-०३ को जीवित रखने के मंशा से विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में ऑनलाईन विविध अपील वाद संख्या-०४/२०२१-२२ (श्री अशोक मण्डल बनाम श्री राजकिशोर महतो) दायर किया गया और जब उक्त न्यायालय में वाद को खारिज करने के उपरांत विविध आपील का प्रसंग देते हुए अपर समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में वाद दायर

किया गया। जबकि वाद भू-हदबंदी से संबंधित है जिसे विविध वाद के तहत सुनवाई करना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

—: आदेश :-

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात होता है कि यह वाद भू-हदबंदी से संबंधित है जिसमें वाद की प्रकृति को बदल कर विविध वाद के रूप में दाखिल किया गया है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

अपर सहायता,
गिरिडीह।

अपर सहायता,
गिरिडीह।